विधान सभा/अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(6)संसद/86

जयपुर, दिनांकः 7/8/26

परिपत्र

विषयः–सदन की मेज पर रखवाये जाने वाले पत्रादि यथा अधिसूचनाएं, वार्षिक प्रतिवेदन/लेखें एवं अंकेक्षित प्रतिवेदन ऑनलाइन (डिजिटल) प्रेषण व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः–राजस्थान विधान सभा सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ. 33(16)सदन/विस/2026/25456 दिनांक 05.08.2026

राजस्थान विधान सभा सचिवालय के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार की ओर से वे समस्त अधिसूचनाएं जो किन्हीं विधियों अथवा नियमों के अन्तर्गत जारी की गयी है तथा जिनका विधान सभा में अनुसमर्थन अपेक्षित है, को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित की जाती है। साथ ही राज्य सरकार के शासकीय विभागों के अधीन आयोगों, आयुक्तालयों, प्राधिकरणों, निगमों, राजकीय उपक्रमों एवं विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिनियमों के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखवाये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक वित्तीय लेखा प्रतिवेदनों (अंकेक्षित) आदि की पीडीएफ फाईल पेनड्राइव के साथ 25 प्रतियों में विधान सभा सचिवालय को प्रेषित की जाती है।

विधान सभा सचिवालय के दैनंदिन कार्यकरण में राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार समस्त अधिसूचनाएं, वार्षिक प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं सदन के पटल पर रखे जाने वाले समस्त पत्रादि एवं संबंधित पत्राचार राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से करने तथा सॉफ्ट कॉपी राजस्थान विधान सभा सचिवालय को ऑनलाईन (डिजिटल) भिजवाये जाने हेतु तथा माननीय मंत्री महोदय से अधिप्रमाणित प्रति एवं 25 अतिरिक्त प्रतियां पूर्ववत ऑफ लाइन ही भिजवाने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

संलग्नः उरोक्तानुसार।

07/08/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मा0 मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण।
5. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा–निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

07/8/2026

(प्रेमनारायण)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Email -- sadan-rla@gov.in
फैक्स नं.- 0141-2744333-334
दूरभाष नं.- 0141/2744301-320- Ext 201

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रेषक :-	प्रेषिति :-
प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर - 302005	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

संख्या-एफ.33(16)सदन/विस/2026/ 25456 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय : सदन की मेज पर रखवाए जाने वाले पत्रादि यथा अधिसूचनाएं, वार्षिक प्रतिवेदन/लेखें एवं अंकेक्षित प्रतिवेदन ऑनलाईन (डिजिटल) प्रेषण व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार की ओर से वे समस्त अधिसूचनाएं जो किन्हीं विधियों अथवा नियमों के अन्तर्गत जारी की गयी है तथा जिनका विधान सभा में अनुसमर्थन अपेक्षित है, को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित की जाती है। साथ ही राज्य सरकार के शासकीय विभागों के अधीन आयोगों, आयुक्तालयों, प्राधिकरणों, निगमों, राजकीय उपक्रमों एवं विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिनियमों के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखवाये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक वित्तीय लेखा प्रतिवेदनों(अंकेक्षित) आदि की पीडीएफ फाईल पेनड्राइव के साथ 25 प्रतियों में इस सचिवालय को प्रेषित की जाती है।

उल्लेखनीय है कि इस सचिवालय के दैनंदिन कार्यकरण में राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार समस्त अधिसूचनाएं, वार्षिक प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं सदन के पटल पर रखे जाने वाले समस्त पत्रादि एवं संबंधित पत्राचार राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से करने तथा सॉफ्ट कॉपी इस सचिवालय को ऑनलाईन (डिजिटल) भिजवाने हेतु राज्य सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/शासन सचिव को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।

माननीय मंत्री महोदय से अधिप्रमाणित प्रति एवं 25 अतिरिक्त प्रतियां पूर्ववत ऑफ लाइन ही भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें। कृपया की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को भी अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

(भारत भूषण शर्मा)
प्रमुख सचिव